रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एच.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1988/फाल्गुन 12, 1909
No. 128] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 1988/PHALGUNA 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LIBRARY 30/9/88

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1988

अधिसूचना

का.आ. 239(अ) :—चूंकि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाये की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुच्छेद (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 28 अप्रैल, 1987 की राजपत्र अधिसूचना सं. 809/5/87-एफ.सी. द्वारा यह निदेश दिया था कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बम्बई द्वारा 22-12-1986 को "ए" प्रमाण-पत्र सं. ए. 663 प्रदान की गई फिल्म "रेम्बो : फर्स्ट ब्लड-पार्ट-II" (संशोधित) (अंग्रेजी) का प्रदर्शन 28 अप्रैल, 1987 से अगले दो महीनों की अवधि के लिये रोक दिया जाये।

2. और चूंकि इसके साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 6(2)(क) के अन्तर्गत फिल्म के आयातकर्ता मैसर्स लोटस फिल्म्स इन्टरनेशनल, कलकत्ता को भी यह अवसर दिया गया था कि वे इस संबंध में अपने विचार 15 मई, 1987 तक भेजें।

3. और चूंकि 14 मई, 1987 को फिल्म के आयातकर्ता ने फिल्म के प्रमाणन और प्रदर्शन को स्थगित करने वाली अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए अपने कानूनी प्रतिनिधियों मैसर्ज मुल्ला एण्ड मुल्ला एण्ड क्रेगी ब्लन्ट एण्ड कैरो, 51, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-400001 द्वारा एक कानूनी नोटिस भेजा था और फिल्म के जिन दृश्यों, भागों और संवादों के आधार पर इस मामले में निर्णय किया गया, उनकी सूचना मांगी। उन्होंने इस संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई का भी निवेदन किया। तदनुसार, उस पक्ष को पत्र सं. 809/5/87-एफ.सी., दिनांक 25 जून, 1987 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना भेजी गई और 2 जुलाई, 1987 को

अपराह्न 3 बजे मामले की सुनवाई के लिये उपस्थित होने के लिये कहा गया । तथापि, पक्ष के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख 16 जुलाई, 1987 तक बढ़ा दी गई । सुनवाई 16 जुलाई, 1987 को हुई और मैसर्ज लोटस फिल्म्स इन्टरनेशनल, कलकत्ता (पक्ष) का प्रतिनिधित्व कलकत्ता के सर्वश्री लालजी महरौत्रा और कमल बंसल तथा दिल्ली के श्री एस. रंगनाथन द्वारा किया गया।

4. और चूंकि, सुनवाई के दौरान, श्री लालजी महरौत्रा ने यह बताया कि फिल्म का संशोधित रूपान्तर तैयार कर लिया गया है और फिल्म के जो भाग/दृश्य/संवाद आपत्तिजनक पाये गये हैं, उन्हें हटा दिया गया है । उन्होंने यह दावा किया कि फिल्म के संशोधित रूपान्तर में, फिल्म, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से सम्बन्धित मार्गदर्शी रूपरेखा का उल्लंघन नहीं करती है । मैसर्ज लोटस फिल्म्स इन्टरनेशनल के प्रतिनिधियों ने साग्रह यह भी दावा किया कि वे फिल्म के शीर्षक में भी आवश्यक सुधार करने के लिये तैयार हैं, । उस पर, मैसर्ज लोटस फिल्म्स इन्टरनेशनल के प्रतिनिधियों को यह निदेश दिया गया कि वे फिल्म के दूसरे संशोधित प्रिंट की जांच के लिये उसे फिल्म प्रभाग आडिटोरियम, नं. 1, महादेव रोड, नई दिल्ली-110001 में जमा करवायें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या फिल्म सभी आपत्तिजनक, दृश्यों, संवादों आदि से रहित है और सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त है अथवा नहीं।

5. और चूंकि फिल्म के द्वितीय संशोधित रूपान्तर की जांच 2-12-1987 को संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी । यह पाया गया कि यद्यपि फिल्म के दूसरे संशोधन में वियतनाम और सोवियत संघ के कुछ विशिष्ट संदर्भों को हटा दिया गया है, परन्तु इसमें अमरीका का वह अभियोग फिर भी स्पष्ट पाया गया कि वियतनामी सरकार अमरीकी युद्ध बंदियों को जानबूझ कर बहुत ही शोचनीय हालत में रखे हुए हैं। वियतनाम के संदर्भ के अलावा इस फिल्म में स्पष्ट रूप से यह चित्रित किया गया है कि वियतनाम द्वारा बंदी रखे गये अमरीकी युद्धबंदियों की सोवियत सलाहकारों को पूरी जानकारी है और वे वास्तव में उस अमरीकी नायक को पकड़ने में वियतनामियों की मदद कर रहे हैं जो तथाकथित बंदियों को छुड़ा लेना चाहता है । फिल्म का सम्पूर्ण अर्थ, एक मित्र देश वियतनाम के लिये अप्रतिष्ठाजनक है । प्रत्यक्ष संदर्भ हटा दिये जाने के बावजूद, यह स्पष्ट है कि फिल्म प्रचारक स्वरूप की है और समाजवादी गणराज्य वियतनाम और सोवियत संघ के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के प्रति निश्चित रूप से हानिकारक है।

6. और चूंकि फिल्म का दूसरा संशोधित रूप भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 5/5/77-एफ (सी), दिनांक 7-1-1978 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के पैरा 2(8) में उल्लिखित विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से संबंधित मार्गदर्शी रूप रेखा का उल्लंघन करता है और उक्त अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (1) के अर्थों में "विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों" से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है और चूंकि फिल्म का प्रदर्शन चलते रहने से सोवियत संघ तथा समाजवादी गणराज्य वियतनाम के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, अतः केन्द्रीय सरकार इस बात की आवश्यकता को महसूस करती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ताकि भविष्य में किसी प्रकार की हानि से बचा जा सके।

7. अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) की अनुच्छेद (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि "रेम्बो-फर्स्ट–ब्लड–पार्ट-II" (संशोधित) (अंग्रेजी) नामक फिल्म जिसे केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा "ए" प्रमाणपत्र दिया गया था, उसे पूरे भारत में तत्काल से अप्रमाणित फिल्म समझा जायेगा और उसी समय से इसका प्रदर्शन रोक दिया जायेगा ।

[सं० 809/5/87–एफ०सी०]

मनमोहन सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 24th February, 1988

NOTIFICATION

S.O. 239(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), (hereinafter called the said Act) had directed, vide gazette notification No. 809|5|87-FC, dated the 28th April, 1987, that the exhibition of the film titled RAMBO : FIRST BLOOD—PART II (Revised) (English), which was granted 'A' certificate No. A 663 on 22-12-1986 by the Central Board of Film Certification, Bombay, be suspended for a period of two months with effect from the 28th April, 1987.

2. And whereas at the same time, under section 6 (2) (a) of the said Act, the importers of the film, i.e., M|s. Lotus Films International, Calcutta, were given an opportunity to represent their views in the matter by the 15th May, 1987.

3. And whereas, on the 14th May, 1987, the importers of the Film had challenged the validity of the Notification suspending the certification and exhibition of the film, through a legal notice served by their legal representatives M|s. Mulla & Mulla & Cragie Blunt & Caroe, 51, Mahatma Gandhi Road, Bombay-400 001, and sought information about the scenes, parts or dialogues which form the basis of the decision taken in the matter. They also

requested for a personal hearing in the matter. Accordingly, the Party was supplied with the requisite information vide letter number 809|5|87-FC, dated June 25, 1987 and asked to appear for hearing of the case on 2nd July, 1987, at 3.00 P.M. However, the hearing was postponed to 16th July, 1987 at the request of the Party. The hearing took place on 16th July 1987, and M|s. Lotus Films International, Calcutta (the Party) were represented by S|Shri Lalji Mehrotra and Kamal Bansal of Calcutta, and S. Ranganathan of Delhi.

4. And whereas, during the hearing, Shri Lalji Mehrotra, stated that a revised version of the film had been prepared in which the portions|scenes| dialogues found to be objectionable had been excluded. He contended that, in its revised form, the film did not violate the guideline pertaining to friendly relations with foreign countries. The representatives of M|s. Lotus Films International also averred that they would be willing to make necessary modifications even in the title of the film. Thereupon, the representatives of M|s. Lotus Films International were directed to deposit the second revised print with the Films Division Auditorium, at No. 1, Mahadev Road, New Delhi-110 001, to be viewed so as to ascertain whether, in its present form, the film, shorn of all the objectionable scenes, dialogues etc., was suitable for public exhibition.

5. And whereas the second revised version of the Film was viewed on 2-12-1987, by the Joint Secretary in the Department of Culture and representatives of the Ministry of External Affairs. It was found that even though some specific references of Vietnam and Soviet Union had been deleted in the second revised form of the film, it was evident that it still reflects American accusation that the Vietnamese Government is deliberately holding American prisoners of war and treating them in a most deplorable manner. Apart from the reference to the Vietnamese, there is clearly an implicit depiction of Soviet advisers of having full knowledge of American prisoners of war held by the Vietnamese and in fact assisting the Vietnamese to track down the American hero who seeks to rescue the so-called prisoners, the entire nuance of the Film is derogatory to Vietnam, a friendly country. Even after direct references are removed, it is evident that the Film is propagandist in nature and does harm our friendly relations with Socialist Republic of Vietnam and the USSR.

6. And whereas the Film, even in its second revised form, offends the guideline relating to friendly relations with foreign states mentioned in para 2 (viii) of the guidelines issued under the Ministry of Information and Broadcasting Notification No. F. 5|5|77-F (C), dated 7-1-1978 (as amended) and thus contravenes the provisions relating to "friendly relations within foreign states" within the meaning of sub-section (i) of Section 5B of the said Act, and whereas the continued exhibition of the film is likely to have an adverse effect on our friendly relations with the USSR and the Socialist Republic of Vietnam, the Central Government feels it necessary to immediately stop the exhibition of the film to public so that further damage is averted.

7. Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the film "RAMBO FIRST BLOOD—PART II" (Revised) (English) which was granted 'A' certificate by the Central Board of Film Certification, shall be deemed to be an uncertified film in the whole of India, with immediate effect, and its exhibition stopped forthwith.

[No. 809|5|87-FC]

MAN MOHAN SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988